#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

एडीजीसी श्री कमलेश कुमार तिवारी

पैरोकार का0 श्यामू साहनी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचाने के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 20,000/- रु0 व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं 01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचार बने रहने की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 12.06.2009 समय 12.00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी को गाली देते हुए मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाना व धमकी देने पर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी मे मु0अ0सं0 170/09 धारा 308, 324, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 17.03.2026 को माननीय न्यायालय एएसजे-03 सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्तों को *20,000/- रु0 व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं 01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचार बने रहने की* सजा सुनाई गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्तों को *01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचार पर बने रहने की सजा।*
- *अभियुक्तों को 20000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने की सजा।*

दोषसिद्ध अभियुक्तों का नाम व पता:-

- देवचन्द्र सिंह उर्फ गुना पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- विनय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।